

आवश्यक सूचनाएँ

१४४

- परीक्षार्थी का नाम, उसके मध्यमा प्रमाण—पत्र में जैसा है, वैसा ही लिखा जाना चाहिए।
- मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सही विवरण स्पष्ट रूप से देना चाहिए। ऐसा न देने पर परीक्षा—फल रोका जाएगा।
- आवेदन—पत्र, नियत शुल्क सहित जून 15/- दिसंबर 15 तक परीक्षा—विभाग को मिलना चाहिए।
- आवेदन पत्र विलंब शुल्क सहित जून 25/ दिसम्बर 25 तक परीक्षा विभाग को मिलना चाहिए।
- छूट नियम (मध्यमा से)**

- एस.एस.एल.सी. या मेट्रिक या एस.एस.सी. परीक्षा में हिन्दी विषय लेकर उपरिस्थित छात्र;
- केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या सी.बी.एस.सी. की आठवीं कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
- सातवीं या आठवीं पब्लिक परीक्षा में प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
- ऐ.एस.सी. या जूनियर केम्ब्रिज परीक्षाओं में हिन्दी लेकर संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या मात्र हिन्दी विषय में 50% अंक प्राप्त छात्र;
- किसी भी विश्वविद्यालय के उपाधिधारी, ओरियंटल टाइटिलधारी;
- केन्द्र सरकार की प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
- केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
- हिन्दी माध्यम से चौथी कक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र;
- नौवीं कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी विषय लेकर स्कूल में पढ़ रहे छात्र;

नोट :- Item No. 10 के लिए स्कूल के प्रधान अध्यापक से इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है कि वह छात्र नौवीं कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में स्कूल में हिन्दी लेकर अध्ययन कर रहा है।

- उपरोक्त नियम के अनुसार मध्यमा से छूट पाने लायक आवेदक को आवश्यक प्रमाण—पत्र या अंक सूची की साक्षीकृत (Attested) प्रति इस परीक्षा आवेदन—पत्र के साथ अवश्य जोड़ना है। छूट शुल्क के साथ आवेदन पत्र का दाम रु. 5/- भी भेजना ज़रूरी है। जिन आवेदकों को छूट नहीं दी गयी, उनका परीक्षा—फल रोका जाएगा और परीक्षा—फल के प्रकाशन से 45 दिनों के अंदर आवश्यक विवरण देकर परीक्षा—फल न छुड़ाने पर उनकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी।
- परीक्षा—फल www.hindisabhatrichy.com पर प्रकाशित किया जाएगा।
- परीक्षा—फल के विषय में परीक्षा—विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा।